न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/1429/2003/गंगानगर</u>

सुभाषचन्द्र पुत्र मखनाराम कम्बोज निवासी 61 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–अपीलार्थी/प्रतिवादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार
2. रामचन्द्र पुत्र मेघाराम
3. तुलसी बेवा मेघाराम
4. सन्ती पुत्री मेघाराम नाबालिग जरिये कुदरती माता तुलसी अवकाम
   –समस्त निवासीगण ग्राम 71 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
5. सुखदेवी पत्नी मंगतू पुत्री मेघाराम नायक निवासी 65 एनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
6. चावली पुत्री मेघाराम पत्नी गोपालराम नायक निवासी 7 जेकेएम तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर
7. विमला देवी पत्नी दुलाराम पुत्री मेघाराम नायक निवासी 7 जेकेएम तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर
8. मानाराम पुत्र जोधाराम नायक निवासी 7 जेकेएम तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर
9. राजगोपाल पुत्र मुखराम जाट निवासी करनपुर तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर

–प्रत्यर्थीगण

<u>खण्डपीठ</u>
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य
श्री पंकज नरुका, सदस्य

उपस्थित

श्री एस.एस.सिद्धू, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री शोकिन्द लाल गूर्जर, उपराजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 1
श्री राजेश गौतम अधिवक्ता, शेष रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः– 19–01–2022

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–11–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि विचारण न्यायालय उपजिला कलक्टर अनूपगढ के समक्ष तहसीलदार अनूपगढ ने एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध ग्राम 71 जीबी का मुरब्बा नम्बर 18 का 8 बीघा 4 बिस्वा रकबे के संबंध में पेश किया। उक्त वाद को उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 6–11–1978 को निर्णय किया जाकर वाद वादी डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध मानाराम ने राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील पेश की। उक्त अपील में न्यायालय ने निर्णय दिनांक 11–4–1980 द्वारा अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा पारित निर्णय को अपास्त कर प्रकरण को पुनः तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दोनों पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय हेतु आदेशित किया। कालान्तर में उक्त वाद सहायक जिला कलक्टर अनूपगढ के समक्ष अन्तरित किया गया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 26–5–1997 द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए प्रश्नगत आराजी को बहक सरकार में निहित किए जाने की आज्ञा पारित की। उक्त निर्णय के विरूद्ध रामचन्द्र वगैरहा ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रथम अपील पेश की। उक्त अपील में न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 12–11–2002 पारित करते हुए अपील को खारिज कर तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। इसी

निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि मामले में विचारण न्यायालय के समक्ष राज्य पक्ष ने मियाद से बाधित दावा पेश किया है। इस बाबत उनका कहना है कि प्रश्गनत आराजी का अन्तरण दिांक 7-2-1968 को पंजीकृत विलेख के द्वारा निष्पादित किया गया है। आगे बताया कि मामलें में किये गये अन्तरण के समय धारा 175 की कार्यवाही हेतु मियाद की अवधि तीन वर्ष निर्धारित थी। उक्त स्थिति में मामले में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया दावा मियाद के बिन्दु पर ही अपास्त किए जाने योग्य था। उनका आगे कहना है कि मूल दावे के समर्थन में राज्य पक्ष ने किसी प्रकार की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है। मूल दावे की कार्यवाही में न्यायालय ने केवल मात्र भूमि को सबलेट होना कथित करते हुए कार्यवाही की है। यहीं नहीं मूल दावे की कार्यवाही में व्यथित काश्तकार को आवश्यक पक्षकार संयोजित नहीं किया। उनका आगे कहना है कि अपीलार्थी सवर्ण जाति का सदस्य होकर विक्रय विलेख में भी जाति कम्बोज अंकित की है। इस बाबत न्यायालय ने किसी प्रकार की जांच नहीं की। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार किया जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12-11-2002 एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26-5-1997 को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।

5. इसके विपरीत योग्य उपराजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण द्वारा पेशी गयी आलोच्य द्वितीय अपील का विरोध करते हुए मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को विधि सम्मत होना कहा है। उनका कहना है कि मामले में निहित प्रश्नगत रकबे के संबंध में अनुसूचित जाति संवर्ग के व्यक्ति द्वारा सवर्ण जाति के सदस्य के मध्य आराजी का अन्तरण किया गया है। अतः ऐसा अन्तरण धारा 46–ए के विधिक प्रावधानों के विपरीत किए जाने के कारण मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण ऐसे निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

6. शेष प्रत्यर्थीगण ने मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को त्रुटिपूर्ण होना कहते हुए निरस्त करने की प्रार्थना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने मामले में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी बहस का समर्थन करते हुए आलोच्य अपील को स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किए जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

8. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या यह प्रमाणित होता है कि वाद में निहित विवादित आराजी का अन्तरण किया गया है। स्थिति यह प्रकट होती है कि प्रश्नगत आराजी का प्रतिवादी संख्या 1 माना वगैरहा जो कि

अनुसूचित जाति संवर्ग में आहूत होते है तथा उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के भाई सुभाषचन्द्र के पक्ष में दिनांक 07-2-1968 को भूमि का अन्तरण किया गया है, जो कि सवर्ण जाति का सदस्य है। मामले में किए गए अन्तरण के बाबत प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जवाबदावे में अभिवचन किया है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य निर्विवादित रूप से प्रकट होता है कि प्रकरण में निहित भूमि का अन्तरण अनुसूचित जाति के सदस्य के द्वारा सवर्ण जाति के सदस्य के मध्य हुआ है। सारांशतः मामले में विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रकबे को बहक राज्य सरकार निहित करने में किसी विधि का उल्लंघन अथवा अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग नहीं किया है। तदनुसार प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26-5-1997 विधि सम्मत होना पायी जाती है। उक्त विधि सम्मत निर्णय के विरूद्ध रामचन्द्र वगैरहा द्वारा पेश अपील को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा अपास्त की है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता किया जाना प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन विधि सम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

9. बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेप उठाया कि प्रश्नगत आराजी के हितबद्ध व आवश्यक व्यक्ति को मामले में आवश्यक पक्षकार संयोजित नहीं किया है, इस कारण आलोच्य अपील स्वीकार कर आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त किया जावे। इस बाबत यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रथम अपील के स्तर पर प्रभावित पक्षकार द्वारा आवेदन पेश करने के उपरान्त नवीन पक्षकार संयोजित कर अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण किया गया। अतः इस बाबत अपीलार्थीगण का आक्षेप निराधार है।

10. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के मद्देनजर विधि सम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सांराशतः अपीलार्थीगण ने अपील मीमो में असंगत आधार अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है।

11. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(सी.आर.मीणा)
सदस्य